रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)—73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1985/कार्तिक 18, 1907
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1985/KARTIKA 18, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st November, 1985

G.S.R. 1038.—Under Rule 5(ii) of Order IV, Supreme Court Rules, 1966 (as amended), and Regulation (2) of the Regulations regarding Advocates-on Record Examination made thereunder governing the Examination for Advocates-on-Record, it is hereby notified for the information of all concerned that Examination for the Advocates-on-Record will be held in the Supreme Court Premises, New Delhi on 23rd and 24th December, 1985 and 2nd and 3rd January, 1986.

2. All Advocates who will be completing one years' continuous training on or before 30th November, 1985 are eligible to appear for the aforesaid examination.

3. Applications should reach the Secretary not later than Saturday the 23rd November, 1985 The application form may be obtained from the Secretary on any working day during office hours.

4. Applications will be accepted provisionally subject to the production of the requisite certificate relating to the required training from the Advocates-on-Record concerned as soon as possible and in any case not later than Saturday the 14th December, 1985. Applications from the candidates who fail to produce the said certificate on or before the 14th December 1985 shall not be entertained.

[File No. F. 85/AR(MJ)]
By Order,
A. N. OBERAI, Secy.
Board of Examiners

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1985

सा. का. नि. 1039:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय (ग्रुप "सी" पद) भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय (ग्रुप "सी" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1985 कहा जाएगा।

(2) ये नियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. गृह मंत्रालय (ग्रुप "सी" पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में क्रम संख्या 2 पर वरिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर के पद से संबंधित कालम 10 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"लागू नहीं होता"।

[सं. ए 12018/1/85-प्रशा.—II]
टि के० रविन्द्रनाथ, अवर सचिव

पाद नोट :—तारीख 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र के भाग—II, खण्ड-3, उपखण्ड (i), पृष्ठ 1441 सा. का. नि. 1190 में तारीख 29-6-68 की अधिसूचना सं. एफ.

9	10	11	12	13	14
Age : No Educational qualifications : No	2 years	100% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion from Menders with at least 3 years regular service in the grade.	-do-	Not Applicable

[No. F. 10-15/85-Lib]
R.C. SOOD, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1985

सा. का. नि. 1056—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3 आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची में मुख्य इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :–

1	2	3	4	5
"मुख्य इंजीनियर (स्तर–1)	1 (1985)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–1, राजपत्रित (अननुसचिवीय)	2500–125/2–2750 रु.	चयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : अधीक्षण इंजीनियर और ज्येष्ठ वास्तुविद जिन्होंने अपनी श्रेणी में 9 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :– क. (i) जो सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जो 2250– 2500 रु. के वेतनमान में पद धारण किये हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की है, (iii) जो अधीक्षण इंजीनियर की पंक्ति का या समतुल्य पद धारण किये हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्ष सेवा की है; और ख. जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था की सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
(1) (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) वर्ग –1 विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी — सदस्य	किसी अधिकारी या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है"।

13	14
4. महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य (2) (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए (वर्ग–1 विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर आकाशवाणी —सदस्य	

[सं. 301/9/84–1 (घ)]

जे. डी. भाटिया, अवर सचिव

पाद टिप्पण : आकाशवाणी निर्माण स्कंध (श्रेणी I तथा II पद) भर्ती नियम 1975, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० 301/ 9/72– बी (डी) तारीख 9 दिसम्बर, 1975 के अधीन सा. का. सं. 147, तारीख 31 जनवरी, 1976 के साथ प्रकाशित किये गए थे तत्पश्चात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 301/ 4/82–1 (घ) तारीख 14 फरवरी 1983 को उपांतरित किया गया।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th October, 1985

G.S.R. 1056.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio, Civil Construction Wing (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1975.

1. (1) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction Wing (Class I and II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1985.

(2) Thy shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, Civil Construction Wing (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1975, for serial number 1 relating to the post of Chief Engineer and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"Chief Engineer (Level-I)	1* (1985) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Class-I Gazetted (Non-Ministerial).	Rs. 2500-125/2-2750	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation.

12	13	14
Promotion : Superintending Engineers and Senior Architects with 9 years regular service in the respective grade. Transfer on Deputation : Officers under the Central Govt./State Govts. : (a)(i) Holding analogous posts; or (ii) Holding posts in the scale of Rs. 2250-2500 with 2 years service in the grade. grade :	(1) Class-I DPC (for considering promotion) Consisting of 1. Chairman/Member, UPSC—Chairman 2. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Member 3. Director General, A.I.R. —Member 4. Director General, Doordarshan —Member (2) Class-I DPC : (for considering confirmation) consisting of :	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment on deputation."

12	13	14
(iii) Holding posts of the rank of Superintending Engineer or equivalent with 9 years service in the grade; and (b) Possessing degree in Civil Engineering of a recognised University/Institution or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 5 years.	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information & Broadcasting —Member 3. Engineeri-in-Chief, All India Radio, —Member	

No. 301/9/84-B/D)]
J. D. BHATIA, Under Secy.

oot note : The All India Radio, Civil Construction Wing (Class-I & II posts) Recruitment Rules, 1975 were published under the notification GSR No. 147 dated 31-1-76. Subsequently modified under Min. of I & B., (notification No. 301/4/82-B(D) dated 14-2-1983.

परिवहन मंत्रालय

(भूतल परिवहन विभाग)

(नौवहन खंड)

नई दिल्ली 18 अक्तूबर 1985

सा.का.नि. 1057 केन्द्रीय सरकार, नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966 (1966 का 4) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1985 है।

(2) यह 1 सितम्बर, 1984 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

2. नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 में,—

(1) पैरा 58-घ के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"58-घ अप्रतिदेय निकाली गई रकम के संदाय का ढंग।

पैरा 58क, 58ख और 58ग के अधीन निकाली गई रकम का संदाय, मृतक सदस्य के सिवाय उस सदस्य के विकल्प पर जिसको संदाय किया जाएगा, पोस्टल मनी आर्डर, मांग देय ड्राफ्ट द्वारा या आदाता खाता के चैक द्वारा डाक से किया जाएगा या संबंधित पाने वाले को कार्यालय परिसर में सौंप दिया जायगा :

परन्तु यदि रकम पांच सौ रुपये और उससे कम है तो निकाली गई रकम का संदाय वैसी ही रीति में किया जाएगा और उस पर होने वाले व्यय की पूर्ति निधि के प्रशासन लेखा से की जाएगी"।

(2) पैरा 62 में, उपपैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस पैरा के अधीन संदाय का दावा करना चाहता है, एक लिखित आवेदन आयुक्त को भेजेगा। आयुक्त, आवेदन की प्राप्ति पर, पैरा 58-घ के उपबंधों के अनुसार संदाय कर सकेगा"।

[फा.सं. एस. डब्ल्यू/एम डब्ल्यू एस (30)/84-एम टी]

एस. सिंघल, अवर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Shipping Wing)

New Delhi, the 18th October, 1985

G.S.R. 1057.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 namely :—

1. (i) This Scheme may be called the Seamen's Provident Fund (Amendment) Scheme, 1985.

(ii) It shall be deemed to have come into force w.e.f. 1st September, 1984.

2. In the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 :—

(i) for paragraph 58-D, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"58-D. Mode of payment of non-refundable withdrawals.—Payment of withdrawals under paragraphs 58A, 58B and 58C may be made by postal money order, demand draft or by account payee cheque through post or handed over to the concerned payee on office premises, except in the case of deceased member, at the option of the member to whom payment is to be made :

Provided that, if the amount is rupees five hundred and below, the payment of withdrawal shall be made in the like manner and expenses thereof shall be met from the Administration Account of the Fund".

(ii) in paragraph 62, for sub-paragraph (5) (excluding the proviso) the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(5) Any person who desires to claim payment under this paragraph shall send a written application to the Commissioner. The Commissioner may, on receipt of the application, make the payment according to the provisions of paragraph 58D."

[F. No. SW|MWS|(30)|84-MT]

S. SYNGHAL, Under Secy.